संचिका संख्या– 16 गोशाला विकास/2012– 127

# पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
# बिहार, पटना

प्रेषक,

हरजोत कौर,

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,

संबंधित गोशाला के पदेन अध्यक्ष।

पटना– 15, दिनांक– 28.06./2014

**विषय :– राज्य स्थित गौशालाओं की परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण/अवैध दखल (अनधिकृत कब्जा) से मुक्त करानें के संबंध में।**

महोदय,

बिहार राज्य में विभिन्न जिलों में 87 (सतासी) गोशालाएँ अवस्थित हैं। विभिन्न माध्यमों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि अनेक गोशालाओं की परिसम्पत्तियों (भूमि, मकान इत्यादि) पर अतिक्रमण एवं अनधिकृत कब्जा है। इस संदर्भ में बिहार विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में अवस्थित सभी गोशालाओं के परिसम्पत्तियों पर से अतिक्रमण तथा अनधिकृत कब्जा से मुक्त कराने का आश्वासन दिया है।

2. इन गोशालाओं से संबंधित परिसम्पत्तियाँ/भूमि सरकारी परिसम्पत्ति के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए गोशालाओं के परिसम्पत्ति पर से अतिक्रमण तथा अनधिकृत दखल को हटाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित "बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009" तथा इससे संबंधित नियमावली यथा "बिहार भूमि विवाद निराकरण नियमावली–2010" के अन्तर्गत सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी है।

3. इस संबंध में पूर्व में भी मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक– 86 दिनांक– 05.03.2012 के द्वारा आपको निदेश दिया गया था किन्तु उक्त पत्र के अनुपालन में मात्र समस्तीपुर जिला को छोड़कर अन्य जिलों में की गई कार्रवाई की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है।

4. अतः पुनः निदेश दिया जाता है कि सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित गोशालाओं की परिसम्पत्ति पर से अतिक्रमण/अनधिकृत दखल को हटाने के संबंध

में उपर्युक्त अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना जिला पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावेंगे।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये।

विश्वासभाजन

28/6/14

(हरजीत कौर)

सचिव।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग